

He Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465] No. 465] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 19, 1996/श्रावण 28, 1918

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 19, 1996/SRAVANA 28, 1918

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1996

का. आ. 572(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में और 21 दिसम्बर, 1962 के भारत सरकार गृह मंत्राहाय की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 3863 का अधिक्रमण करते हुए, जिसमें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या छोड़े गए कार्य शामिल नहीं हैं, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि राष्ट्रपति के नियन्त्रण के अधीन और अगले आदेशों तक, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) के तहत राज्य सरकार की शंकितयों और प्रकार्यों का प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पांडिचेरी के प्रशासक (उप-राज्यपाल) द्वारा अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों में किया जाएगा।

[फा, सं. यू. 11030/2/96-यू. टी. एस.]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 1996

S.O. 572(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 3863 dated the 21st December, 1962, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby directs that the powers and functions of the State Government under the Wakf Act, 1995 (43 of 1995) shall, subject to the control of the President and until further orders, be exercised by the Administrator (Lieutenant-Governor) of the Union territories of the National Capital Territory of Delhi and Pondicherry within their respective Union territories.

[F No. U-11030/2/96-UTL]

P.K. JALALI, Jt. Secy.

2005 GI/96